शिवचरण बनाम सरकार

दावा 95/2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/6/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वादी वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजात, जवाब परिवाद सरकार का अवलोकन किया गया। बहस वादी वकील एवं जवाब प्रतिवाद सरकार व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर वादी वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं.– 95/2015
निर्णय दिनांक–11.08.2023

उनवान

1. शिवचरण पुत्र हरसहाय जाति सैनी निवासी भाण्डेडा तहसील बसवा हाल बांदीकुई जिला दौसा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा।

(दावा दुरस्ती नक्शा शीट खाता नं. नई 42 व पुरानी 42 ढाणी हरिजन पटवार हल्का आभानेरी)

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी द्वारा वाद दावा दुरस्ती नक्शा शीट पेश किया कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नई 42 पुरानी 42 के खसरा नम्बर 256 लगायत 259 कुल किता–4 कुल रकबा– 2.73 हैक्टयर ग्राम ढाणी हरिजन में स्थित है। जिसके सैटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 रहे है। उपरोक्त भूमि का सैटलमेन्ट पूर्व से पुरानी नक्शा शीट खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 में पुरानी जमाबन्दी के मुताबिक पूरा रकबा दिखाया गया है। जबकि सैटलमेन्ट के बाद बनाये गये नक्शे में नई नक्शा शीट में मौजूदा जमाबन्दी के कुल रकबे के मुताबिक रकबा बरारी करने पर पूरी भूमि नहीं बैठती है। यानि नये नक्शे के अनुसार जमाबंदी में दर्ज कुल रकबा नहीं बैठता है। इसलिए नई नक्शा शीट को पुरानी नक्शा शीट के अनुसार संशोधित कराकर दुरस्त कराना आवश्यक हो गया है। वादी अपनी खातेदारी की उपरोक्त खाता संख्या नई– 42 व पुरानी 42 के अनुसार पुराने नक्शे में दर्शितानुसार मौके पर काबिज है। परन्तु नये नक्शा शीट में जमीन कम होने से पडोसी काश्तकारान आये दिन डोले (सीमा चिन्ह) को तोड–फोड कर स्वयं के खेतों में मिलाने पर प्रयासरत रहते है। झगडा होने संभावना रहती है। अतः निवेदन है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 42 नई व 42 पुरानी के सैटलमेन्ट से पूर्व रहे खसरा नम्बर 49/1 व 49/2 की पुरानी नक्शा शीट अनुसार सैटलमेन्ट द्वारा बाद में नया बनाया नक्शा को संशोधित कर दुरस्त कराने की डिक्री जारी की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जरिये नोटिस विधिवत की गयी। प्रतिवादी तहसीलदार बसवा का जवाब द्वारा पैरोकार सरकार दिनांक 09.12.2015 प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में वादी वकील बहस सुनी गयी। वादी वकील ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। वाद पत्र व जवाब पैरोकार सरकार दिनांक 09.12.2015 में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार वादी के पास मुताबिक मीजान क्षेत्रफल गत के मुकाबले 0.02 हैक्टयर भूमि अधिक ही है। वाद अत्यन्त देरीना है। मियाद बाहर है। दावा बेबुनियाद है। अतः निरस्त योग्य है। दावे में जिन पडोसियों से सीमा विवाद बताया है। नक्शे को जहां शुद्ध करने हेतु दावा किया है। उन खातेदारान को पक्षकारान नहीं बनाया है। दावे में "नोन ज्वोइन्डर ऑफ पार्टीज" की गंभीर खामी है। अतः दावा पोषनीय नहीं है। प्रथम दृष्ट्या खारिज योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)